

25000- 25000 रुपये का 02 इनामिया वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चालाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में आज दिनांक 31.01.2026 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर कारीसाथ मोड़ के पास से मु0अ0स0 612/2025 धारा 87/137(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त चन्द्रिका चौहान पुत्र सतेन्द्र चौहान निवासी सोहिलपुर थाना घोसी जनपद मऊ को तथा मु0अ0स0 608/25 धारा 87, 137(2) ,65(1), बीएनएस 3(2)5 एसएसी/एसटी में वांछित अभियुक्त अभिषेक बर्मा पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी खरसड़ा अजीजपुर थाना रसड़ा जनपद बलिया को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

अभियुक्त का विवरण-

1. चन्द्रिका चौहान पुत्र सतेन्द्र चौहान निवासी सोहिलपुर थाना घोसी जनपद मऊ ।
2. अभिषेक बर्मा पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी खरसड़ा अजीजपुर थाना रसड़ा जनपद बलिया ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 612/2025 धारा 87/137(2) बीएनएस
2. मु0अ0स0 608/25 धारा 87, 137(2) ,65(1), बीएनएस 3(2)5 एसएसी/एसटी एक्ट ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रमेन्द्र कुमार सिंह थाना घोसी जनपद मऊ ।
2. उ0नि0 महबूब अली थाना घोसी जनपद मऊ ।
3. का0 अमित कुमार थाना घोसी जनपद मऊ ।
4. का0 अवनीश यादव थाना घोसी जनपद मऊ ।
5. हे0 का0 कमलेश कुमार थाना घोसी जनपद मऊ ।
6. का0 धर्मेन्द्र प्रजापति थाना घोसी जनपद मऊ ।

डकैती में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चालाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष्ण राजपूत के नेतृत्व में आज दिनांक 31.01.2026 को थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0

0011/2026 धारा 331(4)/305(A)/125(A) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त अभियुक्त विशेष यादव पुत्र जयप्रकाश यादव सा0 बक्शा थाना बक्शा जनपद जौनपुर उम्र करीब 31 वर्ष को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण – उल्लेखनीय है कि आजमी हास्पिटल हकीकतपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ में दिनांक 23.01.2026 की रात्रि में 04 डायलसिस मशीनों को चोरी किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 0011/2026 धारा 331(4)/305(A)/125(A) बी0एन0एस0 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा पूर्व में दिनांक 25.01.2026 को उक्त अभियोग में 02 नामजद अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी भी हो चुकी थी। घटना के बाद से ही शेष नामजद अभियुक्त गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे थे तथा पुलिस द्वारा लगातार दबीश दी जा रही थी। आज मुखबीर खास की सूचना क आधार पर पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर भदेसरा मोड़ से निम्न अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसे रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायीक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. विशेष यादव पुत्र जयप्रकाश यादव निवासी बक्शा थाना बक्शा जनपद जौनपुर उम्र करीब 31 वर्ष

पंजीकृत अभियोग –

1. मु.अ.सं. 0011/2026 धारा 310(2)/317(3)/61(2) बी0एन0एस0 थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 अरुण कुमार सिंह, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
2. उ0नि0 हरिकेश यादव, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
3. उ0नि0 शहजाद जमां थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
4. हे0का0 सुरजीत कुमार, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ

शांदी का झांसा देकर लड़की भगाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चालाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद के नेतृत्व में दिनांक 31.01.2026 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर तहसील गेट के बगल से मु0अ0सं0 405/2024 धारा 87, 137(2), 64(2) B.N.S. व 5 J(2)/6 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त सौरभ शुक्ला पुत्र संतोष शुक्ला सा0 मगरमु थाना बरसठी जनपद जौनपुर को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

- सौरभ शुक्ला पुत्र संतोष शुक्ला सा0 मगरमु थाना बरसठी जनपद जौनपुर

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0स0 405/2024 धारा 87, 137(2), 64(2) B.N.S. व 5 J(2)/6 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

- उ0नि0 पंकज कुमार थाना मु0बाद गोहना
- हे0का0 सत्यप्रकाश थाना मु0बाद
- का0 योगेन्द्र चौधरी

पाक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चालाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 31.01.2026 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व जारी मुखबिर की सूचना पर सिकड़ीकोल मोड दरगाह से मु0अ0स0 373/2025 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व 3/4(1) पाक्सो एक्ट थाना मधुबन जनपद मऊ से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त इन्द्रेश यादव उर्फ भीम यादव पुत्र स्व0 बीरबल निवासी ग्राम तालपताछ थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया

अभियुक्त का विवरण-

- इन्द्रेश यादव उर्फ भीम यादव पुत्र स्व0 बीरबल निवासी ग्राम तालपताछ थाना मधुबन जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0स0 373/2025 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व 3/4(1) पाक्सो एक्ट थाना मधुबन जनपद मऊ

बरामदगी का विवरण-

- अपहता की बरामदगी।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

- उ0नि0 दीपनारायन कुमार, थाना मधुबन जनपद मऊ।

2. का० संतोष कुमार यादव थाना मधुबन जनपद मऊ ।

गोकसी से संबन्धित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चालाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद के नेतृत्व में दिनांक 31.01.2026 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर धौरहरा पुल के पास से सम्बन्धित मु०अ०सं० 0020/2026 धारा- 303(2)BNS व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त वास उर्फ़ झिन्ना पुत्र वजीर अहमद निवासी खैराबाद थाना मु०बाद गोहना जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. वास उर्फ़ झिन्ना पुत्र वजीर अहमद निवासी खैराबाद थाना मु०बाद गोहना जनपद मऊ उप्र करीब 43 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मी

- उ.नि.अरविन्द कुमार यादव थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ ।
- हे.का.संदीप सोनकर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ ।
- का.अनिल पटेल थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ ।

02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना दिनांक 31.01.2026 को थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण 1. लालू उर्फ़ लालजी, 2. विनोद राजभर पुत्रगण हेतिम राजभर निवासीगण विलौवा थाना हलधरपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 15 दिवस के परिवीक्षा दण्ड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी मा0 न्यायालय महिला कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा दिनांक 31-01-2026 को 292/2019 धारा 294 भा.द.वि. का थाना घोसी मे दोषसिद्ध अभियुक्त रवि चौहान पुत्र सुभाष चौहान निवासी मिश्रौली थाना घोसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 15 दिवस की परिवीक्षा दण्ड से दंडित किया गया

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी अभिनव शुक्ल, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव, तथा न्यायालय पैरोकार का0 बिनोद कुमार का सराहनीय योगदान रहा।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 02 अभियुक्त को 01वर्ष के परिवीक्षा दण्ड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायधीश जनपद मऊ द्वारा दिनांक 31-01-2026 को 09.04.2000 को मु0अ0सं0 115/2000 धारा 308,323,506 भा.द.वि. का थाना हलधरपुर मे दोषसिद्ध अभियुक्तगण 1.रामदरश पुत्र जदू 2. नन्हे पुत्र जादू निवासी जगदीशपुर थाना हलधरपुर जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 01 वर्ष की परिवीक्षा दण्ड से दंडित किया गया

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी धीरेन्द्र प्रताप प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव, तथा न्यायालय पैरोकार का0 रामराज का सराहनीय योगदान रहा।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा व ₹ 2000 के अर्थदण्ड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 31-01-2026 को मु0अ0सं0 144/1999 धारा 457,511 भा.द.वि. का थाना सरायलखंसी मऊ मे दोषसिद्ध अभियुक्त श्याम बिहारी पुत्र महादेव निवासी राधोपट्टी थाना सरायलखनसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए दोषी अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि से दंडित किया गया एवं ₹ 2000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 सप्ताह का अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार का0 शिद्धार्थ कुमार का सराहनीय योगदान रहा।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 04 माह के साधारण कारावास की सजा व ₹ 3000 के अर्थदण्ड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा दिनांक 31-01-2026 को मु0अ0सं0 508/2018 धारा 504, 506 भा.द.वि. का थाना सरायलखंसी मऊ मे दोषसिद्ध अभियुक्त रमेश सिंह उर्फ काका पुत्र रामवृक्ष सिंह निवासी कैथोली थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 04 माह के साधारण कागावास की सजा एवं ₹ 3000 जुमनि के दण्ड से दंडित किया गया अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कागावास से दण्डित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री आरआर यादव तथा न्यायालय पैरोकार का0 शिद्धार्थ कुमार का सराहनीय योगदान रहा।